भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1323
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

ई-न्यायालय सेवा प्रणाली में कमियाँ

1323. श्री दामोदर अग्रवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ई-न्यायालय सेवा प्रणाली में न्यायालय के आदेशों और अन्य दस्तावेजों को समयबद्ध तरीके से अपलोड नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) ई-न्यायालय सेवा प्रणाली में कमियों का ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में ऐसे दस्तावेज समय पर अपलोड नहीं किए जा रहे हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों और इस संबंध में शिथिलता बरतने वाले राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : न्याय विभाग, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ घनिष्ठ समन्वय में, विकेंद्रीकृत रीति से, संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से सशक्त बनाने के लिए ई-न्यायालय परियोजना को लागू कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत, निर्णयों, आदेशों और संबंधित न्यायिक डेटा को समय पर अपलोड करने पर जोर दिया गया है। संबंधित न्यायालय आमतौर पर निर्णयों और आदेशों को समय पर अपलोड करते हैं, साथ ही वाद-विवाद सूचियों और दैनिक कार्यवाही का प्रकाशन भी करते हैं, जिन्हें ई-न्यायालय परियोजना के विभिन्न सेवा वितरण चैनलों के साथ-साथ संबंधित उच्च न्यायालयों की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। आज तक ई-

न्यायालय वेबसाइट पर 1.73 करोड़ निर्णय और आदेश उपलब्ध हैं। ई-न्यायालय परियोजना ने निम्नलिखित पहलों के माध्यम से निर्णयों, आदेशों और न्यायिक डेटा को समय पर अपलोड करना सुकर बनाता है:

i. मुख्य अनुप्रयोग, अर्थात् केस सूचना प्रणाली (सीआईएस), मुकदमेबाजों और नागरिकों की जानकारी के लिए वाद सूचियों और दैनिक कार्यवाही के प्रकाशन की सुविधा प्रदान करता है। केस सूचना प्रणाली (सीआईएस) 4.0 सभी अदालतों में लागू की गई है, और एक समान उपयोग के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल ऑनलाइन प्रकाशित किया गया है।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) जनता को देश भर की न्यायालय के मामलों के डेटा और आंकड़ों तक उपागमन का उपबंध करता है और इसे एक बेहतर डैशबोर्ड के साथ अद्यतन किया गया है, जो मामलों की लंबितता की पहचान करने, प्रबंधन करने और कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है।

iii. वास्तविक समय की डिजिटल सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है, प्रतिदिन 4 लाख से अधिक एसएमएस और 6 लाख से अधिक ईमेल भेजे जा रहे हैं और ई-कोर्ट पोर्टल पर प्रतिदिन 35 लाख हिट्स दर्ज किए जा रहे हैं। न्यायालयों ने वादियों और अधिवक्ताओं को 14 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे हैं।

iv. ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप (3.54 करोड़ डाउनलोड) वकीलों और वादियों को मामले की स्थिति, मुकदमों की सूची आदि के संबंध में सुसंगत जानकारी प्रदान करता है।

v. न्यायालयों में पुराने रिकॉर्ड सहित 618.36 करोड़ से अधिक पृष्ठों के न्यायालय के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ किया गया है ताकि त्वरित पुनर्प्राप्ति, सुरक्षित भंडारण और निर्बाध डिजिटल कार्यप्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

vi. ऑनलाइन केस फाइल करने और न्यायालय की फीस व जुर्माने का डिजिटल भुगतान करने के लिए ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट सिस्टम लागू किए गए हैं, जिससे भौतिक संपर्क और प्रक्रियात्मक बाधाएं कम हुई हैं। ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 1.03 करोड़ केस इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए हैं और ई-पेमेंट सिस्टम ने 1,234 करोड़ रुपये की अदालती फीस और 63 करोड़ रुपये के जुर्माने के लेनदेन को संसाधित किया है।

vii. वादियों और अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग, केस अपडेट और दस्तावेज़ीकरण में सहायता प्रदान करने के लिए ई-सेवा केंद्र वन-स्टॉप डिजिटल केंद्रों के रूप में कार्यरत हैं। सभी उच्च न्यायालयों में 48 ई-सेवा केंद्र और जिला न्यायालयों में 2283 ई-सेवा केंद्र कार्यरत हैं।

viii. भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अन्य सरकारी विभागों के साथ डेटा साझा करने के लिए ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (ओपन एपीआई) विकसित किया गया है। ओपन एपीआई का उपयोग संस्थागत स्तर पर केंद्रीय रूप से मामलों की निगरानी करने, मामले

की तैयारी की निगरानी करने, लंबित मामलों और अनुपालनों का प्रबंधन करने के लिए किया जा रहा है।

न्यायिक प्रशासन, कार्यान्वयन और न्यायालय कर्मचारियों का पर्यवेक्षण संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिनके मार्गदर्शन में न्यायालय कार्य करते हैं। समयबद्धता और निरंतरता को और मजबूत करने के लिए, न्यायालय कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने आदि उपाय किए गए हैं और ई-न्यायालय सेवा प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग के लिए उच्च न्यायालयों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा गया है । ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के अंतर्गत प्रशिक्षण छह स्तरीय राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित है, जो पूरे सिस्टम में एक समान डिजिटल तत्परता सुनिश्चित करता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने 910 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और न्यायाधीशों, वादियों, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों सहित 3,22,740 पणधारियों को प्रशिक्षित किया है।

****